उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 10—विनियम/पाकालि/12—3—विनियम/92 दिनांक : 15 मई, 2012

अधिसूचना

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की अधिसूचना सं0—08—विनियम/पाकालि/12—3—विनियम/92 दिनांक 14—05—2012 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता विनियमावली, 2012 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0—07—विनियम/पाकालि/12—3—विनियम/92 दिनांक 09—05—2012 के अनुकम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने से सम्बन्धित उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0—4/1/2002 टी0सी0—1—का—2/2012 दिनांक 13—05—2012 की अनुरूपता में एतद्द्वारा, निम्नवत् आदेशित किया जाता है:—

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 1998 में विनियम—08 के पश्चात् जोडे गये नये नियम—08'क' के निरस्त हो जाने के कारण उक्त नियमावली के आधार पर पूर्व में बनायी गयी ज्येष्ठता सूचियॉ स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है। इस स्थिति के दृष्टिगत पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियॉ बनाये जाने के बारे में अब निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी —

(अ) यदि प्रबन्धन संतुष्ट है कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमें परिणामी ज्येष्ठता लाभ नहीं दिया गया था को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियॉ आमन्त्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नहीं है, तो उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

(ब) अन्यथा की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 1998 सपठित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ज्येष्ठता नियमावली, 2012 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

<u>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक</u>

<u>संख्या :— 10—(1)—विनियम/पाकालि/12 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद) 15/5/12
उप सचिव (विनियम)